ज़मीनी पैदावार, पेड़ों और सब्ज़ियों पर उश्र

1- ज़कात की तरह उश्र भी एक फ़र्ज़ है। क़ुरआन में ईमान वालों को अपनी पाकीज़ा कमाई से ज़कात और ज़मीनी पैदावार से उश्र अदा करने का हुक्म दिया गया है।

"يايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض"

"ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से, और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है उसमें से ख़र्च करो" (क़ुरआन, 2:267)

उश्र ज़मीन की हर पैदावार पर लागू होता है या कुछ चीज़ें उससे मुक्त हैं, इस बारे में छटे सेमिनार में लोगों के शोध पत्रों और क़ुरआन व हदीस के अहकाम और उनसे निकलने वाले तर्क के आधार पर उनका जायज़ा लेकर यह नतीजा निकाला गया किः

(1) आमदनी की मंशा से उगाई जाने वाली घास, पेड-पौधे और हर ज़मीनी पैदावार पर उश्र वाजिब है। अनाज, मेवे, फल और फूल आदि सभी इसमें शामिल हैं लेकिन ऐसी घास-फूस, पेड और झाड़ियां जो खुद ब खुद उगती हैं और उन्हें आमदनी के लिए नहीं उगाया जाता, उनपर उश्र लागू नहीं होता है।

(2) ऐसे पेड जिनसे फलों के बजाए लकड़ी प्राप्त की जाती है, और वह जलाने, फ़र्नीचर बनाने या इमारतों के बनाने में काम आती हैं, उन्हें व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीक़े से अगर किसी ऐसी ज़मीन पर उगाया जाता है जिसपर उश्र लागू है, और उनसे कमाई हासिल करने की मंशा है तो ऐसे पेड तैयार होने में चाहे जितना समय लगे, उनके काटने पर उनसे होने वाली आमदनी पर उश्र लागू होगा।

(3) वे सब्ज़ियां जो उश्र वाली ज़मीन पर उगाई जाएं और उनसे कमाई करने की मंशा हो, उनमें उश्र वाजिब है। लेकिन घरों के अन्दर या आस-पास की ज़मीन पर लगाई जाने वाली सब्ज़ियों पर उश्र लागू नहीं होता।

☆☆☆